

विविध बैंक प्र0सं0 101/2017 पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय 7 भीखाजी, कामा प्लेस, अफ्रीका ऐवन्यू, नई दिल्ली शाखा कार्यालय पंजाब नेशनल बैंक शाखा नई कृषी मण्डी, श्रीगंगानगर बनाम 1-श्री राजेन्द्र कुमार वधवा, श्री भूपेन्द्रकुमार वधवा, श्रीमति रितु वधवा व श्रीमति रेणु वधवा 2- ऋणी व बंधककर्ता श्री राजेन्द्रकुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा (ऋणी बंधककर्ता) निवासी मकान नम्बर 2-बी-25 सुखाडियानगर, श्रीगंगानगर 3- ऋणी व बंधककर्ता श्री भूपेन्द्रकुमार वधवा पुत्र श्री जगदीशचन्द वधवा (ऋणी व बंधककर्ता) निवासी मकान नम्बर 2-बी-25 सुखाडियानगर, श्रीगंगानगर 4- श्रीमति रितु वधवा पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार वधवा (ऋणी) निवासी मकान नम्बर 2-बी-25 सुखाडियानगर, श्रीगंगानगर 5-श्रीमति रेणु वधवा पत्नि श्री भूपेन्द्र वधवा (ऋणी) निवासी मकान नम्बर 2-बी-25 सुखाडियानगर, श्रीगंगानगर 6-जमानती श्री चेतनप्रकाश पुत्र श्री शिवलाल निवासी 4-ई-288 जय नारायण व्यास कोलोनी, बीकानेर द्वितीय पता 1-डी-69 जय नारायण व्यास कोलोनी, बीकानेर

20.12.2017

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक श्री विपिन सिद्ध उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक के अभिभाषक का कथन है कि उनके द्वारा एक प्रा0 पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है (जिसे आगे अधिनियम कहा जाकर सम्बोधित किया जावेगा) कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार वधवा, श्री भूपेन्द्रकुमार वधवा, श्रीमति रितु वधवा व श्रीमति रेणु वधवा के खाता नम्बर 194000NC9300052114 में अप्रार्थीगण ने ऋण सुविधा के रूप में 23,10,000/- रुपये (अखरे तेईस लाख दस हजार रुपये) ऋण दिनांक 05.08.2010 को लिया था। ऋण की सुरक्षा की ऐवज में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा व श्री भूपेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा निवासी 2-बी-25 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर ने अपनी आवासीय सम्पत्ति मकान न0 2-बी-25, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर साईज 62 गुणा 69 फुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण एव ब्याज का भुगतान नही करने के कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.12.2016 को एनपीए हो गया है। अप्रार्थीगण ऋणी श्री राजेन्द्र कुमार वधवा, श्री भूपेन्द्र कुमार वधवा, श्रीमति रितु वधवा व श्रीमति रेणु वधवा के खाता में दिनांक 31.12.2016 तक ऋण एवं ब्याज राशि 15,50,001-रुपये एवम दिनांक 01.01.17 से आगे का ब्याज तथा अन्य खर्चे बकाया है। अप्रार्थीयान ऋणी/गारन्टर को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि0 नोटिस दिनांक 05.01.2017 को जारी किये गये। नोटिस प्राप्त के बावजूद अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया है और न ही नोटिस के संबंध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा व श्री भूपेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा निवासी 2-बी-25 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर द्वारा

रा.नं.
जिला माजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी आवासीय सम्पत्ति मकान न० 2-बी-25, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर साईज 62 गुणा 69 फुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी भूपेन्द्र वधवा व9 राजेन्द्र वधवा स्वयं की ओर से लिखित आपत्तियां दिनांक 15.11.17 को न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत की है कि प्रार्थी बैंक का धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हुआ व तत्पश्चात माह अप्रैल 2017 में पुनः धारा 13(4) व धारा 8(1) के नोटिस प्राप्त हुए। जिसमें प्रार्थी बैंक द्वारा उन्हे धमकी दी गई है कि उन द्वारा प्रार्थी फर्म के विरुद्ध अनुचित रूप से विधि विरुद्ध तरीके से सरफैसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी। जबकि नोटिस जारी करने के उपरान्त बैंक द्वारा सम्पत्तियों को विक्रय किये जाने की अनुमति का दि० 28.01.17 को अनुबन्ध भी किया है और खाता एन.पी.ए. होने के उपरान्त 7 एन.ओ.सी. भी जारी की गयी है किन्तु इस अनुबन्ध की पालना नहीं की जा रही है। पूर्व नोटिस के आधार पर बैंक द्वारा गलत रूप से कब्जा की अनुमति मांगी गई है। प्रार्थी द्वारा फर्म रूप निहार एवं अपनी अन्य फर्मों की बकाया राशि के पेटे बैंक में 1.25 करोड़ रुपये जमा करवा दिये है। सलंगन स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट के अनुसार कुल अतिदेय राशि 13.80लाख रुपये बनती है जबकि इस राशि में अत्यधिक ब्याज राशि एवं अनुचित खर्चे, दाण्डिक ब्याज भी शामिल है। बैंक द्वारा संधारित लेखों के अनुसार स्टेटमेंट आफ अकाउन्टस भी नोटिस के साथ उन्हें उपलब्ध नहीं करवाया गया है जो अधिनियम की धारा 13(3) की स्पष्ट उल्लंघना है। इसलिए उनका ऋण खाता एन.पी.ए. नहीं रहता है और इस प्रकार धारा 13(2) का नोटिस आधारहीन है। इस नोटिस के तहत बैंक कार्यवाही नहीं कर सकता। इसलिए बैंक को धारा 13(2) का नया नोटिस जारी करना चाहिए। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रा० पत्र के साथ दिया गया शपथ पत्र भी सही नहीं है। इसलिए बैंक का धारा 14 का प्रा० पत्र निरस्त किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने 2016(4) डीएनजे (राज०) 1814 राज० हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एव अन्य बनाम जिला मजि० उदयपुर एवं अन्य का हवाला देते हुए कथन किया कि इस मामले में ऋणी द्वारा प्रस्तुत किसी भी आपत्ति की सुनवाई करने की इस न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी ऋणी को बैंक द्वारा की जा रही कार्यवाही पर कोई आपत्ति है तो वह सक्षम अथोरिटी के समक्ष चाराजोही कर सकते है। उनका आगे यह भी कथन था कि प्रार्थी बैंक की ओर से दिनांक 29.11.17 को शपथ पत्र मय बकाया राशि के स्टेटमेंट द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है कि दिनांक 31.12.16 को उक्त खाता एनपीए हुआ और दिनांक 31.12.2016 को उक्त खाता में 15,50,000रुपये बकाया राशि थी। दिनांक 01.01.17 के पश्चात के व्याज व खर्चे जोड़ कर प्रकरण प्रस्तुती की दिनांक 05.10.17 को उक्त खाता में 15,24,361रुपये तथा दिनांक 31.10.2017 को उक्त खाता में 15,21,708 रुपये बकाया है।

शान
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि चूंकि बैंक की सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा जमा नहीं करवाई गई है इसलिए प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा व श्री भूपेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा निवासी 2-बी-25 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी गयी आवासीय सम्पत्ति मकान न० 2-बी-25, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर साईज 62 गुणा 69 फुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पूर्व में इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 45/17 में दिये गये आदेश दिनांक 31.07.2017 की पालना में प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रकरण अलग से तैयार कर प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण श्री राजेन्द्र कुमार वधवा, श्री भूपेन्द्र कुमार वधवा, श्रीमति रितु वधवा व श्रीमति रेणु वधवा के खाता नम्बर 194000NC9300052114 में अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा के रूप में 23,10,000/- रुपये (अखरे तेईस लाख दस हजार रुपये) ऋण दिनांक 05.08.2010 को स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा व श्री भूपेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा निवासी 2-बी-25 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर ने अपनी आवासीय सम्पत्ति मकान न० 2-बी-25, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर साईज 62 गुणा 69 फुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। प्रार्थी बैंक के प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 05.01.2017 को बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस के रजि० नोटिस जारी किये किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा नोटिस प्राप्ति के बावजूद न तो बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा करवाई और न ही मांग नोटिस के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गयी उक्त सम्पत्ति का कब्जा पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाने के आदेश चाहे हैं।

अप्रार्थी भूपेन्द्र वधवा व राजेन्द्र वधवा द्वारा स्वतः ही दिनांक 15.11.17 को उपस्थित आकर प्रार्थी बैंक द्वारा की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने के संबंध में जो आपतियां की हैं उनके सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है अथवा नहीं? इस सन्दर्भ में प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने हमारा ध्यान 2016(4) डीएनजे (राज०) 1814 राज० हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एव अन्य बनाम जिला मजि० उदयपुर एवं अन्य की ओर दिलाया है जिसके पैरा 14, 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था दी गई है:-

राज०
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

14. From bare reading of section 14 of the act of 2002, it is clear that the District Magistrate is not required to give any notice to borrowers, guarantors or any other person while dealing with the application under Section 14 of the Act of 2002.

15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision of Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.

16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.

17. In view of the above discussions, reliefs prayed for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed.

There Shall be no order as to costs.

चूंकि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रा० पत्र में ऋणी, जमानतदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति को सुने जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय राज० जोधपुर द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में व्यक्त किया गया है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अप्रार्थी ऋणी द्वारा दिनांक 15.11.17 को प्रस्तुत की गयी आपत्तियों पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीयान श्री राजेन्द्र वधवा, श्री भूपेन्द्र वधवा, श्रीमति रितु वधवा, श्रीमति रेणु वधवा, श्री चेतनप्रकाश के नाम धारा 13(2) के अन्तर्गत रजि० डाक से नोटिस भिजवाये गये हैं और अप्रार्थी श्री भूपेन्द्र वधवा व श्री राजेन्द्र वधवा द्वारा प्रस्तुत अपनी लिखित आपत्तियां दिनांक 15.11.17 में भी धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त होना स्वीकार किया है। प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार भी अप्रार्थीयान को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीयान ऋणी/गारन्टर द्वारा प्रार्थी बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई है और न ही नोटिस के संबंध में उनके द्वारा कोई जबाब या अभ्यावेदन प्रार्थी बैंक को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा व श्री भूपेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा निवासी 2-बी-25 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी

बैंक के पास बन्धक रखी गयी आवासीय सम्पत्ति मकान न० 2-बी-25, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर साईज 62 गुणा 69 फुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीयान राजेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा व श्री भूपेन्द्र कुमार वधवा पुत्र श्री जगदीश चन्द वधवा निवासी 2-बी-25 सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर द्वारा ऋण की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखी आवासीय सम्पत्ति मकान न० 2-बी-25, सुखाडिया नगर, श्रीगंगानगर साईज 62 गुणा 69 फुट जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु उनके चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शाना
(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर